न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/26/2017

उनवान

1. सत्तार खॉ पिता समद खॉ (मृतक के बजाय कायम मुकामान)
   1/1 जैतून बेवा सत्तार खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
   1/2 जुल्ले खॉ पुत्री सत्तार खॉ पत्नि रमजान मोहम्मद पठान निवासी बाहला , भीलवाडा
   1/3 वसीम खॉ पिता सत्तार खॉ पठान निवासी कमलापुरा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
   1/4 रिजवाना पुत्री सत्तार खॉ पत्नि रमजान मोहम्मद निवासी कानिया तहसील विजयनगर, जिला अजमेर
   1/5 सबीना पुत्री सत्तार खॉ निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा
2. सलीम खॉ पिता समद खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
3. सब्बीर खॉ पिता समद खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सद्दीक खॉ पिता समद खॉ पठान (मृतक के बजाय कायम मुकाम)
   1/1 अयुब खॉ पिता सद्दीक खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
   1/2 मोईन खॉ पिता फारूख खा पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
   1/3 इदरीस खॉ पिता फारूख खॉ पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
   1/4 अन्जुम बानु पुत्री फारूख खॉ पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
   1/5 श्रीमति सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/6 श्रीमति चांद बानु पत्नि सद्दीक खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. गफार खॉ पिता अहमद खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. मु0 छामु उर्फ चांदी पुत्री छोटू खॉ पठान पत्नि अलाबक्ष जाति पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा हाल बाबा धाम रोड, कम्यूनिटि हॉल के पास, गायत्री नगर, भीलवाडा
4. जुबेदा पुत्री समद खॉ पठान पत्नि मुन्ने खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 112/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12..2016

अधिवक्तागण :—

1. श्री एच डी वर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मदन लाल गुर्जर,श्री सूरज सनाढ्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल जिला भीलवाडा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 की माता श्रीमति हासिया के नाम पर खाता संख्या 2121 की आराजी नम्बर 1951 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1961 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1962 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कीर खेडा, पटवार हल्का संतोकपुरा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 की माता हासिया के नाम पर खाता संख्या 151 की आराजी नम्बर 8761 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजियात सेटलमेण्ट से पूर्व एवं सेटलमेण्ट के तत्काल पश्चात राजस्व ग्राम माण्डल एवं कीर खेडा में स्थित थी, जिसका एक ही पटवार हल्का माण्डल था, उसके पश्चात पटवार हल्का माण्डल का क्षेत्र बडा होने से पटवार हल्का क्षेत्र माण्डल को दो भागों में विभाजित कर पटवार हल्का संतोकपुरा अलग कायम कर राजस्व ग्राम कीर खेडा को पटवार हल्का संतोकपुरा में शामिल कर दिया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

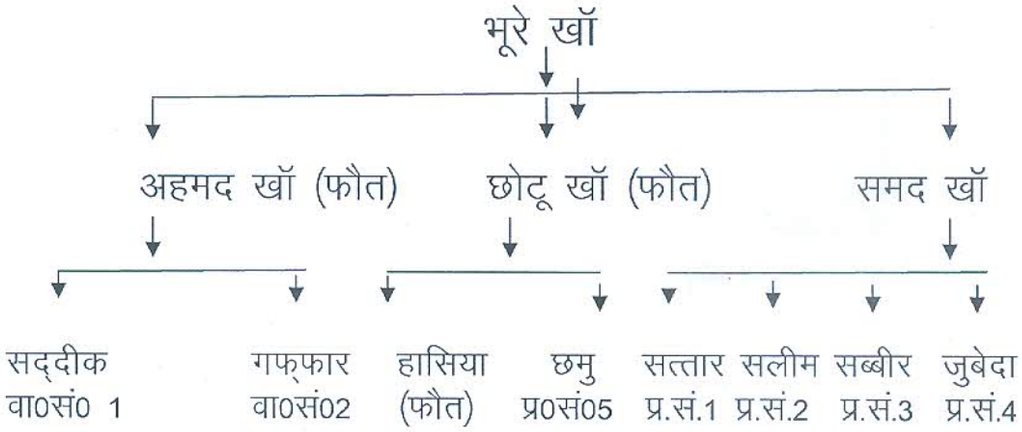

2. उपरोक्त सजरे के अनुसार भूरे खॉ के तीन पुत्र अहमद खॉ, छोटू खॉ, समद खॉ, थे जिनका निधन हो चुका है तथा अहमद खॉ जी के दो पुत्र सद्दीक एवं गफ्फार हुए जो वादीगण है तथा छोटू खॉ जी के कोई पुत्र संतान नहीं होकर उनकी पत्नि श्रीमती हासिया, जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं एक पुत्री छमु जो प्रतिवादी संख्या 5 है तथा समद खॉ जी के तीनपुत्र सत्तार, सलीम, सब्बीर एवं एक पुत्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जुबेदा हुई जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हैं। साबिक आराजी नम्बर 5411 व हाल आराजी नम्बर 1961 व 1962 के साबिक आराजी नम्बर 5409 मीन एवं हाल आराजी नम्बर 8761 के साबिक आराजी नम्बर 3559 थे हाल आराजी संख्या 1568 जिसके साबिक आराजी नम्बर 5075 के साथ संवत 2021 से 2024 तक की जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा जी भूरे खॉ वल्द गुलाब के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा श्री भूरे खॉ वल्द गुलाब खॉ के निधन हो जाने से उक्त वर्णित साबिक आराजियात वादीगण के पिता श्री अहमद खॉ व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता श्री समद खॉ एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पिता श्री छोटू खॉ के नाम पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 2.12.1975 को विरासत से दर्ज कर दी गई।

3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा श्री भूरे खॉ वल्द गुलाब खॉ के नाम दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5409 व 5410, 3559, 5075 कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि का श्री भूरे खॉ वल्द गुलाब खॉ के निधन के पश्चात उनके पुत्रों श्री अहमद खॉ, छोटू खॉ व समद खॉ के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो जाने के उपरान्त श्री समद खॉ ने अपने 1/3 हक हिस्से की आराजियात को श्री रोडा पिता बरदा बलाई को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा श्री रोडा पिता बरदा बलाई का नाम भी समद खॉ के बजाय जरिये इंतकाल नम्बर 380 दिनांक 2.12.79 के जरिये राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया । वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित साबिक आराजियात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री रोडा आत्मज बरदा बलाई को विक्रय कर देने एवं श्री रोडा पिता बरदा बलाई का नाम राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हो जाने के बावजूद भू प्रबन्ध अधिकारियों की भूलवश या लापरवाहीवश रोडा आत्मज बरदा बलाई का नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सेटलमेण्ट करते समय नहीं लिखा जाकर साबिक एवं नवीन आराजी नम्बरमें समद खॉ का नाम बदस्तुर अंकनकर दिया गया तथा सेटलमेण्ट हो जाने के उपरान्त रोडा आत्मज बरदा बलाई द्वारा अपना नामदर्ज करवाने के लिए पुनः कार्यवाही की गई। जिस पर संवत 2037 में जरिये इंतकाल नम्बर 332 दिनांक 10.11.1981 के तहत नवीन आराजी संख्या 1568 पर रोडा बलाई का कब्जा होने से विक्रय पत्र के आधार पर रोडा बलाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कर खाता अलग कर कायम कर दिया गया । उक्त आराजी संख्या 1568 रोडा बलाई के नाम पर दर्ज हो जाने बाबत वादीगण के पिता अहमद खॉ, उनके छोटे भाई छोटू खॉ, व समद खॉ को कोई एतराज नही था व ना ही वादीगण को भी इस बाबत कोई एतराज हीहै परन्तु अन्य हाल आराजी नम्बर 1951, 1961, 1962 के राजस्व रेकार्ड में समद खॉ का कोई हक हिस्सा व कब्जा शेष नहीं रहने के बावजूद भी समद खॉ का नाम विलोपित नहीं कर बदस्तुर रखा गया, जिसका कि राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है तथा न ही था।

4. प्रतिवादी संख्या 5 की माता श्रीमति हासिया ने एवं उसके पति श्री छोटू खॉ ने अपने कोई पुत्र संतान नहीं होने से वादी संख्या 1 को नाबालिग अवस्था में ही अपने पास रखा तथा उसका पालन पोषण किया, तत्पश्चात वादी संख्या 01 के बालिग हो जाने पर वादी संख्या 1 ने श्रीमति हासिया एवं उसके पति की सम्पूर्ण रूप से सेवा चाकरी की, तथा श्री छोटू जी का निधन हो जाने पर उनके समस्त अंतिम क्रियाकर्म एवं सामाजिक रिति रिवाजों को पूर्ण किया तथा हासिया की पुत्री प्रतिवादी संख्या 05 का मायरा मुकलावा आदि समस्त कार्यक्रम को सम्पन्न किये इस प्रकार वादी संख्या 1 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर श्रीमति हासिया बेवा श्री छोटू खॉ मुसलमान ने अपने पति से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विरासत से प्राप्त 1/3 हक हिस्से की आराजियात को अपनी अन्य चल अचल सम्पति एवं मनकुला एवं गैर मनकुला सम्पति को वादी संख्या 1 को दिनांक 12.7.1999 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतपत्र के आधार पर वसीयत कर दी । जिससे प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति छमु ने भी स्वीकार करते हुए अपने हल्फिया बयान 10/—रू0 के स्टाम्प पर अंकित करा दिनांक 14.5.2009 को अंकित करा नोटेरी पब्लिक के समक्ष अपने माता द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में कराई गई वसीयत को सही होना व किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया । इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं होकर सम्पूर्ण आराजियात वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जे की होने से वादीगण को उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 की माता हासिया का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाये जाने की विधिक अधिकारी है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता श्री समद खॉ द्वारा अपने हक हिस्से की आराजियात को सन् 1975 में ही रोडा आत्मज बरदा बलाई को विक्रय कर देने से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा , परन्तु राजस्व रेकार्ड में श्री समद खॉ के निधन हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम विरासत से अंकन हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की नियत में फितुर आ गया तथा राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित हो जाने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से व उसके विक्रय करने हेतु लोगों व दलालों से वार्तालान करने लगे, जिसकी जानकारी होते ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने की कोशिश की गई, कि उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात में आपका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है व न ही उक्त आराजियात पर आपका कोई कब्जाकाश्त है क्योंकि आपके पिता समद खॉ जी नेअपने हक हिस्से की जमीन को तो सन् 1975 में ही रोडा आत्मज बरदा बलाई को विक्रय कर दी। अतः आप भी अपना नाम जो कि भुलवश राजस्व अधिकारियों द्वारा हमारे हिस्से की आराजियात में दर्ज कर दिया गया है को हटवाने के लिए कार्यवाही करवाने में सहयोग करें, जिस पर प्रतिवादीगण स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया और दिनांक 21.9.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 हमसलाह होकर प्रतिवादी संख्या 5 को बहला फुसलाकर उसकी अवैध सहमति लेकर मौके पर भूमि को विक्रय करने हेतु लोगों को दिखाने के लिए आये, जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने मौके पर पहॅूचकर प्रतिवादीगण को एसा नहीं करने के लिए कहा। जिस पर प्रतिवादीगण आक्रोशित हो उठे और वादीगण के साथ गाली गलोच करते हुए कहा कि हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में है , हम हमारे हिस्से की आराजियात को विक्रय रहन बय बक्षीय द्वारा खुर्द बुर्द कर तुम्हे जबरन बेदखल कर देंगें । इसी वजह से वादीगण को वाद पत्र घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करने की नोबत पैदा हुई है।

6. वादानुसार बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का उनके पिता समद खॉ द्वारा अपने 1/3 हक हिस्से की आराजियात को रोडा आत्मज बरदा बलाई को विक्रय कर देने से कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 05 की माता श्रीमति हासिया द्वारा अपने हिस्से की आराजियात का वादी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर देने से एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की गई वसीयत को सहमति देने के कारण उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 5 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 की माता हासिया का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का नाम अंकन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। वादानुसार बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात में वादीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग करने में प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा उक्त आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन, बय बक्षीस या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें, न करावे और यदि दौराने विचारण वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजियात से बेदखल कर उक्त आराजियात को अन्य लोगों को विक्रय, रहन, बय बक्षीस द्वारा अंतरण कर देवें तो आदेशात्मक व्यादेश द्वारा पुनः राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम अंकन करवा कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने की आज्ञा प्रदान करावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण / वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ के निर्णयानुसार अपील मे आराजियात ताहाल शामलात खाते में दर्ज रेकार्ड है तथा वर्ष 1980 तक अपीलाण्टगण के पिता व रेस्पोडेण्ट्स के पिता अहमद खॉ, छोटू खॉ, व समद खॉ शामिल सरीक रहते थे तथा संयुक्त रूप से अपील में वर्णित आराजियात का उपयोग उपभोग करते थे । स्व0 समद खॉ ने कभी भी अपना हिस्सा रोडा पिता बरदा को नहीं बेचा । फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना समद खॉ के वारिसान को सुनवाई का पूर्ण मौका नहीं दिया तथा उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने समद खॉ को उसका हिस्सा रोडा पिता बरदा को बिकाव मानकर उसके वारिसान का नाम खाते से विलोपित करने का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। समद खॉ ने कभी भी अपना 1/3 हिस्सा रोडा को विक्रय नहीं किया वरन जब तक समद खॉ जीवित थे तब तक अपील में वर्णित आराजियात में काश्त करते रहे तथा उसकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण काश्त करते आ रहे थे। अगर बिकाव किया गया होता तो अपीलाण्ट का खाते से नाम उसी समय हटा दिया गया होता । अतः इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रोडा का बिकाव दिनांक 10.6.1975 को बताया जा रहा है जबकि दिनांक 10.6.75 को स्व0 समद खॉ जी वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं थे। समद खॉ जी का खाते में नाम विरासत से दिनांक 2.12.1975 को आया तो किस तरह से दिनांक 10.6.1975 को बिकाव कर सकते थे। इन सारे तथ्यों की तरफ ध्यान नहीं देकर सरसरी तौर पर केवल वादीगण/रेस्पोडण्ट की बात सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि समद खॉ जी, अहमद खॉ जी व छोटु खॉ जी शामिल सरीक रहते थे, समद खॉ जी ने कभी अपना हिस्सा बिकाव नहीं किया। तीनों भाईयों के आपस में अच्छे संबंध थे इन्होंने कभी भूमि का बंटवाडा करना उचित नहीं समझा। तीनों भाई वर्ष 1980 तक शामिल सरीक रहते थे। भूमि का अगर बिकाव किया गया तो उक्त तीनों भाईयों ने अपनी सहमति से बिकाव किया । अगर सहमति नहीं होती तो तीनों भाईयों के नाम व उनके वारिसान के नाम भी अभी तक नहीं चली आती । रेस्पोडेण्ट ने यह कहीं पर वर्णित नहीं किया है कि कब रोडा बलाई को विक्रय कर कब्जा दिया, कोई मिति, तिथी अंकित नहीं की न ही भूरे खॉ जी की मृत्यु की तारीख बताई । समद खॉ ने कभी भूमि विक्रय नहीं की अगर बिकाव की गई तो तीनों पुत्रों ने उनकी सहमति से सभी का हिस्सा बिकाव किया तथा उनके परिवार में खर्च किया इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने अपने पिता अहमद खॉ की मृत्यु की तारीख नही बताई है । अगर समद खॉ द्वारा भूमि विक्रय की जाती तो अहमद खॉ व छोटू खॉ उनके जीवनकाल में एतराज करते लेकिन क्योंकि समदखॉ ने कभी भी अपना हिस्सा विक्रय नहीं किया इसलिए उसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भाईयों ने कभी एतराज नहीं किया । सही तौर पर तीनों भाईयों का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्टगण व रेस्पोडेंण्ट्स का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 17.5.2013 को 100/–रूपये की कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही बाबत सुना जाकर स्वीकार किया गया एवं दिनांक 17.5.2013 के बाद पीठासीन अधिकारी महोदय कोर्ट में नहीं बैठे । दिनांक 17.5.2013 से लेकर दिनांक 27.2.2015 तक केवल दो बार कोर्ट चली लगातर 7–8 पेशी तक कोर्ट नहीं चली व अचानक दिनांक 27.2.2015 को अपीलाण्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जबकि पत्रावली कायम मुकाम की कार्यवाही में चल रही थी । इस वाद की तारीख दिनांक 27.2.2015 के बाद दिनांक 17.4.2015 नियत की गई। लेकिन दिनांक 17.4.2015 को कोई पत्रावली नहीं निकली । दिनांक 17.5.2015 को पत्रावली निकाल कर उसमें दिनांक 29.5.2015 की तारीख पेशी नियत की गई। लेकिन दिनांक 29.5.2015 को कोई पत्रावली नहीं निकली । अचानक दिनांक 13.7.2.015 को पत्रावली निकाली गई व दिनांक 18.3.2016 को तनकियात में रखी गई व दिनांक 18.11.2016 को 200/–रूपये की कॉस्ट अदा नहीं करना बताया जाकर रेस्पोडेण्ट वादी की शहादत में पत्रावली रखी जाकर आगामी तारीख पेशी पर अपीलार्थी को जानकारी दिये बगैर अपीलाधीन एकतरफा निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 को अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी को पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि सजरे के अनुसार भूरे खॉ के तीन पुत्र अहमद खॉ, छोटू खॉ व समद खॉ थे। जिनका निधन हो चुका है। अहमद खॉ के दो पुत्र सद्दीक प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 2 गफ्फार हुए। जो अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण थे। छोटू खॉ जी के कोई पुत्र संतान नहीं होकर एक पुत्री छमु है जो प्रत्यर्थी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 5 है तथा समद खॉ जी के तीन पुत्र सत्तार,सलीम व सब्बीर जो अपीलार्थीगण है। हाल आराजी नम्बर 1951 के साबिक आराजी नम्बर 5411 व हाल आराजी नम्बर 1961 व 1962 के साबिक आराजी नम्बर 5409 मीन एवं हाल आराजी नम्बर 8761 के साबिक आराजी नम्बर 3559 थे। उक्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण के पूर्वज अहमद खॉ , अपीलार्थीगण के पूर्वज समद खॉ एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 4 के पति श्री छोटू खॉ के नाम पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 2.12.1975 को विरासत से दर्ज की गई।

16. उभयपक्ष के पूर्वज भूरे खॉ वल्द गुलाब खॉ के नाम दर्ज साबिक आराजी नम्बर 5409, 5410, 3559, 5075 कुल किता 4 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि भूरे खॉ के निधन के उपरान्त उनके तीनों पुत्रों अहमद खॉ, छोटू खॉ व समद खॉ के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो जाने के उपरान्त श्री समद खॉ ने अपने 1/3 हक हिस्से की आराजियात को श्री रोडा पिता बरदा बलाई को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया । जिस पर नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 2.12.79 द्वारा समद खॉ के बजाय रोडा पिता बरदा बलाई का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया। उक्त विक्रय स्वरूप नामान्तरकरण रोडा पिता बरदा बलाई के नाम पर दर्ज होने के कुछ समय उपरान्त भू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रबन्ध हुआ । जिसमें भू प्रबन्ध अधिकारियों की भूल से रोडा आत्मज बरदा बलाई का नाम भू प्रबन्ध करते समय भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उक्त साबिक एवं नवीन नम्बर में अंकन नहीं कर समद खॉ का नाम बदस्तुर अंकन कर दिया । भू प्रबन्ध के उपरान्त रोडा आत्मज बरदा बलाई द्वारा पुनः अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु कार्यवाही की गई जिस पर संवत 2037 में जरिये इन्तकाल नम्बर 332 दिनांक 10.111981 के तहत हाल आराजी नम्बर 1568 रोडा बलाई के नाम पर दर्ज कर दी गई। जिस पर अहमद खॉ व उनके छोटे भाई छोटू खॉ व समद खॉ ने कोई ऐतराज नहीं किया । वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को भी कोई एतराज नही था परन्तु अन्य हाल आराजी नम्बर 1951, 1961 व 1962 के राजस्व रेकार्ड में समद खॉ का कोई हक हिस्सा व कब्जा शेष नहीं रहने के बावजूद भी समद खॉ का नाम विलोपित नहीं कर बदस्तुर जारी रखा गया जिसका राजस्व अधिकारियों को अधिकार नही था।

17. प्रत्यर्थी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 5 छमु की माता श्रीमती हासिया ने एवं उसके पति श्री छोटू खॉ ने अपने पुत्र संतान नही होने से वादी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 1 सद्दीक खॉ को नाबालिग अवस्था में ही अपने पास रखा तथा उसका पालन पोषण किया उसके उपरान्त बालिग हो जाने पर श्रीमति हासिया द्वारा छोटू खॉ की मृत्यु के उपरान्त उसके पति छोटू खॉ के हक हिस्से की 1/3 आराजियात एवं अन्य चल, अचल सम्पति को प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी संख्या 1 सद्दीक को दिनांक 12.7.1999 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर वसीयत कर दी। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 5 छमु ने भी स्वीकार कर हल्फिया बयान दिनांक 14.5.2009 द्वारा वसीयत को सही होना स्वीकार किया । इस प्रकार अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 की माता हासिया का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम विलोपित कर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण राजस्व रेकार्ड का, उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

18. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण को अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उनके द्वारा साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 4 जमाबंदी में भूरे खॉ की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 2.12.1975 से अहमद खॉ, छोटू खॉ व समद खॉ का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। जमाबंदी संवत 2037 से 2040 प्रदर्श 16 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 10.11.1982 द्वारा बिकाव से आराजी नम्बर 1568 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि रोडा पिता बरदा बलाई के नाम दर्ज की गई है। नामान्तरकरण पंजिका प्रदर्श 14 से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त आराजी समद खॉ द्वारा विक्रय की गई है। साबिक आराजी नम्बर 5411 के हाल आराजी नम्बर 1961 व 1962 , साबिक आराजी नम्बर 8761 के साबिक आराजी नम्बर 5075 एवं 1568 कायम हुई जिसकी पुष्टि खसरा भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 10 , 11, व 12 से होती है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात सद्दीक खॉ , गफार खॉ,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अहमद खॉ, हासिया बेगम बेवा छोटे खॉ, व समद खॉ पिता भूरे खॉ मुसलमान के नाम दर्ज है । जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी की नकल संवत 2066 से 2069 प्रदर्श 1 से होती है। विरासत समद खॉ पिता भूरे खॉ के बजाय सत्तार खॉ, सलीम खॉ, शब्बी खॉ पिता समद खॉ जुबेदा पुत्री समद खॉ का नाम दर्ज करने की स्वीकृति जमाबंदी संवत 2066 से 2069 प्रदर्श 1 से होती है।

20. समद खॉ ने अपना 1/3 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रोडा पिता बरदा बलाई को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया । जिसकी प्रमाणित प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 2.12.1975 प्रदर्श 5 द्वारा रोडा पिता बरदा बलाई का नाम दर्ज किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इकरार नामा की फोटो प्रति जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदशिर्त्रत नहीं किया गया है। परन्तु उक्त इकरार नामा दस्तावेज के अनुसार अहमद खॉ, छोटू खॉ ने दिनांक 27.11.1975 को इकरार किया है कि हम इकरारकर्ताओं व समद खॉ के मध्य आराजी नम्बर 5410 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 2409 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3559 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 5075 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा रेवेन्यू रिकार्ड में है। समद खॉ ने दिनांक 11.6.1975 को आराजी नम्बर 5075 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा श्री रोडा पिता बरदा बलाई को 2000/– रूपये में विक्रय कर दी। कॉलम नम्बर 3 में अंकित किया गया है कि '' आराजी नम्बर 5075 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा श्री समद खॉ के हिस्से की थी उसने विक्रय कर दी हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह आराजी उन्हीं के हिस्से की थी। '' इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भू प्रबन्ध से पूर्व ही समद खॉ ने उसके हक हिस्से में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आई भूमि आराजी नम्बर 5075 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा रोडा पिता बरदा बलाई को विकय्र कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था। ऐसी स्थिति में समद खॉ के पिता की आराजी में समद खॉ का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रह जाता है। अपीलार्थीगण का कथन है कि समद खॉ द्वारा विकय की गई आराजी उनके तीनों भाईयों भूरे खॉ, समद खॉ एवं अहमद खॉ द्वारा विकय की गई थी एवं उनकी सहमति थी। इस बाबत अपीलार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे अपीलार्थीगण के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

21. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि समद खॉ द्वारा अपनी पैतृक आराजी में से खसरा नम्बर 1568 का दिनांक 11.6.1975 को बिकाव रोडा पिता बरदा बलाई के नाम कर दिया था। उपरोक्त बिकाव पैतृक आराजी संख्या 1568, 1951, 1961, 1962 व 8761 में से खसरा नम्बर 1568 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का किया जाना भी प्रकट है। ऐसे में प्रत्यर्थी/वादीगण के इस कथन को बल मिलता है। भू प्रबन्ध के उपरान्त सहवन से भूरे खॉ की आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण उनके तीनों पुत्रों अहमद खॉ, छोटू खॉ व समद खॉ के नाम पर खोल दिया गया । जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 ने समद खॉ का नाम हटाये जाने का निवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज का अवलोकन कर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

22. अपीलार्थीगण का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.8.2012 को अधिवक्ता प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये गये। दिनांक 11.9.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवादी प्रस्तुत किया गया । जिस पर दिनांक 17.5.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी 100/—रू0 की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया एवं निर्देशित किया गया कि वादी के अधिवक्ता को कॉस्ट का भुगतान करने पर आगके की कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 11.10.2013 को नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 11.10.2013 को नियत की गई। दिनांक 11.10.2013 के उपरान्त दिनांक 21.1.2014, 25.3.2014 की पेशी तक कॉस्ट की राशि अदा करने के लिए अवसर चाहा गया । दिनांक 24.4.2014 दिनांक 16.5.2014 की पेशी पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कॉस्ट की राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं दिनांक 13.6.2016 को कॉस्ट का भुगतान के लिए अवसर चाहा गया । उसके उपरान्त दिनांक 9.7.2014, दिनांक 18.7.2014,, दिनांक 8.8.2014, दिनांक 12.9.2014, दिनांक 14.10.2014, दिनांक 25.11.2014 एवं दिनांक 23.12.2014 को न्यायालय कार्य नहीं हो सका उसके उपरान्त भी दिनांक 27.2.2015 तक कॉस्ट की राशि का भुगतान किये जाने के बारे में फर्द अहकाम पर कोई अंकन नहीं किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। उसके उपरान्त प्रकरण में दिनांक 2.12.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया । इस प्रकार दिनांक 17.5.2013 से अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2016 तक भी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का यह कथन कि उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है उचित प्रतीत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं होता है। अतः अपीलार्थी सुनवाई के अवसर दिये जाने के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

23. हमनें प्रकरण का सारगर्भित अध्ययन किया । उभयपक्षकारान को सुना तथा संलग्न रिकोर्ड का गहन अध्ययन किया । विस्तृत मनन उपरान्त हम यह पाते हैं कि स्वर्गीय भूरे खॉ के फौत होने के उपरानत उनके 3 पुत्र अहमद खॉ, छोटू खॉ, समद खॉ होने से तीनों भाईयों का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में प्रदर्शित किया गया था। जिसमें से समद खॉ पुत्र भूरे खॉ ने बिना बंटवाडा कराये आराजी विशेष खसरा नम्बर 1568 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा (साबिक आराजी नम्बर 5.75 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा) का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा रोडा पिता बरदा बलाई को बेचान कर दिया । रजिस्टर्ड बेचान नामा में अहमद खॉ व छोटू खॉ के द्वारा गवाह स्वरूप भी हस्ताक्षर नहीं है। अपितु इकरार नामा संलग्न पत्रावली है । जिस अनुसार समद खॉ द्वारा किये गये बेचान को शेष दोनों भाईयों द्वारा स्वीकार किया गया है। यदि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बेचान के इंतकाल के रिकोर्ड पर होने के उपरान्त भी भूरे खॉ के तीनों वारिसान का नाम रिकार्ड पर अंकित कर दिया हो तो इससे समद खॉ व उसके विधिक वारिसान कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

24. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

25. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/26/2017

उनवान

1. सत्तार खॉ पिता समद खॉ (मृतक के बजाय कायम मुकामान)
1/1 जैतून बेवा सत्तार खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
1/2 जुल्ले खॉ पुत्री सत्तार खॉ पत्नि रमजान मोहम्मद पठान निवासी बाहला , भीलवाडा
1/3 वसीम खॉ पिता सत्तार खॉ पठान निवासी कमलापुरा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
1/4 रिजवाना पुत्री सत्तार खॉ पत्नि रमजान मोहम्मद निवासी कानिया तहसील विजयनगर, जिला अजमेर
1/5 सबीना पुत्री सत्तार खॉ निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा
2. सलीम खॉ पिता समद खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
3. सब्बीर खॉ पिता समद खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सद्दीक खॉ पिता समद खॉ पठान (मृतक के बजाय कायम मुकाम)
1/1 अयुब खॉ पिता सद्दीक खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा
1/2 मोईन खॉ पिता फारूख खा पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
1/3 इदरीस खॉ पिता फारूख खॉ पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
1/4 अन्जुम बानु पुत्री फारूख खॉ पठान नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील व माण्डल जिला भीलवाडा
1/5 श्रीमति सलमा पत्नि फारूख खॉ पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/6 श्रीमति चांद बानु पत्नि सद्दीक खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. गफार खॉ पिता अहमद खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. मु0 छामु उर्फ चांदी पुत्री छोटू खॉ पठान पत्नि अलाबक्ष जाति पठान निवासी माण्डल जिला भीलवाडा हाल बाबा धाम रोड, कम्यूनिटि हॉल के पास, गायत्री नगर, भीलवाडा
4. जुबेदा पुत्री समद खॉ पठान पत्नि मुन्ने खॉ पठान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 112/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12..2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मदन लाल गुर्जर,श्री सूरज सनाढ्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/26/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस यह अपील तारीख 20.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा प्रत्थर्थीगण की ओर से श्री मदन ला गुर्जर, श्री सूरज सनाढ्य वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 20.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2016 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 20.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प

2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

26/8/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा